न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या – 01/2019

अपीलार्थीगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
01 जेदुसिंह पुत्र श्री मोडसिंहजी 02 भीमसिंह पुत्र श्री मोडसिंहजी 03 नरपतसिंह पुत्र श्री मोडसिंहजी जातियान राजपुत, निवासीगण भाटीयो की ढाणी, ग्राम कागनाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01 ग्राम पंचायत लूणावास कला, जरिये सरपंच । 02 मोडसिंह पुत्र श्री धनसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी भाटीयो की ढाणी, ग्राम कागनाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 415 जो ग्राम पंचायत लूणावास कलां द्वारा दिनांक 20.12.2018 को अस्वीकृत किया गया

उपस्थिति –

1. अपीलाण्ट की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवडा ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 14.12.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 415 जो कि ग्राम पंचायत लूणावास कलां द्वारा निरस्त किया गया हैं के विरूद्ध पेश की है । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि कि ग्राम गेलावास, पटवार हल्का लूणावास कलां, तहसील लूणी में कृषि भूमि खसरा संख्या 140 कुल रकबा 39 बीघा 15 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं जिसमे अपीलाण्ट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या दो का 1/3 हिस्सा था । अपीलाण्ट के पिता ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बख्शीशनामा दिनांक 31.10.2018 को अपीलाण्ट के हक में कर दिया जिस बख्शीशनामें का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय झँवर के यहां दिनांक 31.10.2018 को पुस्तक सुख्या प्रथम, जिल्द संख्या 48 में पृष्ठ संख्या 4 कम संख्या 201803093102274 पर किया गया । उक्त बख्शीशनामें के आधार पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु बख्शीशनामें की एक फोटोप्रति पटवारी हल्का को दी गयी पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को आश्वस्त किया कि मेरे द्वारा आपके हक में नामान्तरकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत से स्वीकृत होने पर सूचित कर दिया जायेगा । इस पर अपीलाण्ट आश्वस्त हो गये कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट को सूचित कर दिया जावेगा लेकिन हाल ही में माह जनवरी 2019 में अपीलाण्ट के पास अपर सिविल न्यायाधीश संख्या 03 जोधपुर महानगर न्यायालय के नोटिस मिले जो कि उक्त खसरा संख्या 140 एवं अन्य खसरो की भूमियो के सम्बन्ध में एक वाद खीमसिंह वगैरा द्वारा किया गया था । अपीलाण्ट ने उन समस्त खसरों के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां लेने हेतु दिनांक 28.01.2019 को पटवारी हल्का के पास गये । खसरा संख्या 140 में अपीलाण्ट का नाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner

ही दर्ज नही था इस बारे मे पटवारी हल्का से पुछा गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा संख्या 140 जिसका बख्शीशनामा आपके हक मे किया गया था उसका नामान्तरकरण तो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.12.2018 को अस्वीकृत कर दिया गया है इस कारण आपका नाम जमाबन्दी मे दर्ज नही किया गया है इस पर अपीलाण्ट ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 415 की प्रमाणित प्रति चाही तो पटवारी हल्का ने उसी दिन दिनांक 28.01.2019 को अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण संख्या 415 की प्रमाणित प्रति दी गयी जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश की है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील अस्वीकृत करने मे कानूनी एवं वाक्याती भूल की है । ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही अनाधिकार पूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है । ग्राम पंचायत ने वर्तमान मामले मे अपना माइन्ड एप्लाई करने के बजाय केवल मात्र भू.अ. निरीक्षक की मनमानी रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया जबकि भू-अभिलेख निरीक्षक को केवल मात्र दस्तावेज एवं रेकर्ड सम्बन्धि जॉच करनी होती है न कि आदेश पारित करने हेतु अनुशषा करनी होती है । भू.अ. निरीक्षक के पास कभी भी अधिकार तय करने के पॉवर नही है लेकिन भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त भूमि पुश्तैनी नोट अंकन किया है जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी कभी थी ही नही एवं एक खातेदारी द्वारा किसी को भी अपनी भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार होते है लेकिन भू.अ. निरीक्षक द्वारा अपनी मनमर्जी से ही नामान्तरकरण निरस्त करवाने हेतु उक्त टिप्पणी की है जबकि उसे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने के अधिकार नही है बल्कि उसे केवल मात्र पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा जो इन्द्राज किये जाते है उसे जॉच करने के अधिकार है न कि किसी खातेदार के अधिकारों को चुनौति देने के अधिकार । भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गयी टिप्पणी से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मंशा केवल मात्र उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करवाने की ही थी । नामान्तरकरण की कार्यवाही करने एवं इसे अस्वीकार करने मे राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का तथा अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया है इस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियत खातेदार के आज भी काबिज है रेस्पोण्डेन्ट संख्या दो का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है । अपीलार्थीगण को उसके खातेदारी अधिकारो से वंचित करने हेतु जो कार्यवाही भू-अभिलेख निरीक्षक एवं सरपंच ने मिली भगत से की है वह कानूनन अपने आप मे शुन्य है एवं अन्य उजर एवं ऐतराज बरवक्त बहस एवं बाद देखने रेकर्ड न्यायालय की अनुमति से निवेदन किये जाने के कथन कर अंत मे प्रार्थना की कि अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 415 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण का नाम पंजीबद्ध बख्शीशनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने हेतु अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सांभर

Scanned by CamScanner

उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को समन जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या दो की और से अधिवक्ता श्री गोपालसिंह ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया लेकिन वक्त बहस रेस्पोडेन्ट सख्या एक व दो की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए । अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्ट्रर्ड बक्शीशनामा है इसलिये जब तक रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाकर पंजीबद्ध दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता तब तक उपरोक्त नामान्तरकरण सख्या 415 का नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है ।

आदेश

अत: अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लूणावास कलां, द्वारा अस्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 415 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलाण्ट के पक्ष में जो रजिस्ट्रर्ड बक्खीशनामा दिनांक 31.10.2018 को निष्पादित है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा उक्त पजीबद्ध दस्तावेज निरस्त नही होकर आज भी अस्तित्व में है तो उसके आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया जावें । उक्त आदेश अज अदालत में सुनाया गया । पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner